तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पुखराज बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 25/2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.21	अपीलार्थी पुखराज, पता ग्राम खाबड़ाखूर्द, तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.12.20 में उसके द्वारा (1) खाद्य सुरक्षा में एक व्यक्ति के दो जगह गेहूँ प्राप्त करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है आदेश या नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दु से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से जरिये पत्रांक 388 दिनांक 02.03.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे अपील के बारे में तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत न कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना के बारे में बतलाया गया, जो खेदजनक है। क्या अपीलार्थी/प्रार्थी को पूर्व में सूचना दी गई या नहीं, स्पष्ट नहीं किया गया। द्वितीयत् जो सूचना जिला रसद अधिकारी कार्यालय से संबंधित है उस सूचना के लिए विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित करना चाहिए जो नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) द्वारा विधिक प्रकिया की पालना नहीं करना विधिक प्रावधानों को आत्मसात् न करने का फल है। अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना उसके कार्यालय से संबंधित है या अन्य कार्यालय से मंगवाकर अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	